

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(10)एल-11/गोप्र/प्रमुवसं-06263/4032-4059/c

दिनांक : 15.04.2024

निमित्त

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, RFBP-2/RFBDP, राजस्थान, जयपुर/प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक ट्री, राजस्थान, जयपुर।
3. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी./अरावली वृक्षारोपण परियोजना, राजस्थान, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विकास निगम लिमिटेड, जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर/निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, वनवर्धन, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव) उदयपुर।
8. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर)/सरिस्का (अलवर)/मुकन्दरा (कोटा)।

विषय :- वनरक्षक सीधी भर्ती, 2015 के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वनरक्षक सीधी भर्ती, 2015 आयोजित कर वनरक्षक के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही संपादित की गई थी। उक्त परीक्षा से चयनित वनरक्षकों के द्वारा यदि अपने स्वयं अथवा पिता/पति के नाम में परिवर्तन करवाया गया हो तो क्रम संख्या 1 से 4 पर अंकित कार्यालय स्वयं के कार्यालय की एवं क्रम संख्या 5 से 8 पर अंकित कार्यालय स्वयं तथा अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों (उप वन संरक्षक/वन बन्दोबस्त अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी) की संकलित सूचना निम्न प्रपत्र में दिनांक 18.04.2024 तक प्रेषित करने का कष्ट करे :-

क्र. सं.	नाम कार्यालय	दिनांक 01.04.2023 की अंतरिम वरिष्ठता सूची का क्रमांक	नियुक्ति के समय लोक सेवक का			संशोधन उपरांत लोक सेवक का			प्रथम नियुक्ति कार्यालय का नाम	वि.वि.
			नाम	पिता का नाम	पति का नाम	नाम	पिता का नाम	पति का नाम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- कॉलम संख्या 4 से 6 में लोक सेवक के नियुक्ति आदेशानुसार प्रविष्टि अंकित करे।
- यदि लोक सेवक के स्वयं अथवा पिता/पति के नाम में संशोधन किया गया हो तो कॉलम संख्या 7 से 9 में तदनुसार प्रविष्टि अंकित करें एवं संबंधित कार्यालय आदेश की प्रमाणित प्रति भी भिजवाना सुनिश्चित करें।
- कॉलम संख्या 5 एवं 6 तथा कॉलम संख्या 8 एवं 9 में किसी एक कॉलम में तदनुसार प्रविष्टि की जानी है।

भवदीय,

(के.सी.ए. अरुण प्रसाद)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 15(10)एल-11/गोप्र/प्रमुवसं-06263/4060-4140/c

दिनांक : 15.04.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त उप वन संरक्षक/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी को भेजकर लेख है कि ऊपर दिये गये निर्देशों के अनुसार सूचना अपने नियंत्रण अधिकारी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करें। पत्र की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित नहीं करें।
2. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)

उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)

RajKaj Ref
6628275Document certified by Ketapat Chinnapan
Albert Arun Prasad kcaarun@gmail.comराजस्थान जयपुर
Digitally Signed by K. C. A. ARUN